

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक जविनि.लि./मुले/राजस्व/पत्रा-165/प्रे 3398 दिनांक 23.11.2002

-: परिपत्र :-

मुख्य अभियन्ता (पवस) ज.वि.नि.लि., जयपुर के आदेश संख्या 1525 (RE -65) दिनांक 28.10.2002 के अनुसार ऐसे सभी कृषि श्रेणी (फ्लेट) के उपभोक्ता जिनके मीटर लगाकर मीटर श्रेणी में परिवर्तित किया गया था लेकिन उपभोक्ताओं ने स्वयं ही मीटर उतार दिया , उनको सम्बन्धित कृषि श्रेणी (फ्लेट) की दुगनी दर से बिल बनाने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है

1. ऐसे सभी उपभोक्ताओं को निम्नलिखित टेरिफ कोड निर्धारित किए जाते है :-

उपभोक्ता का मीटर श्रेणी में वर्तमान टेरिफ कोड	नया निर्धारित टेरिफ कोड	टेरिफ कोड जिसमें दुगनी दर से बिल बनाने है ।
4000 4010 4011	4020	4100
4400 4410 4411	4420	4600

2. उपखण्ड द्वारा उपरोक्त निर्धारित टेरिफ कोड सम्बन्धित बिलिंग चक्र के साथ एडवाइज इनपुट 2 - ए द्वारा भेजी जावेगी एवं कम्प्यूटर एजेन्सी द्वारा उपरोक्त फ्लेट रेट के दशाये टेरिफ कोड की दुगनी दर से पूरे बिलिंग चक्र के बिल बनाने है । उक्त दो माह की अवधि के अलावा भी अगर उपभोक्ता से डेबिट / क्रेडिट उपरोक्त (RE -65) दिनांक 28.10.02 के अन्तर्गत की जानी है तो उनका निर्धारण उपखण्ड द्वारा अपने स्तर पर किया जावे एवं उसकी एडवाइज कम्प्यूटर एजेन्सी को **CB-4** में भेजने की व्यवस्था करें ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (- राजस्व)
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर.

प्रतिलिपि निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. पूर्ण कालीन निदेशक , जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर ।
2. मुख्य अभियन्ता (एम एण्ड पी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
3. उप मुख्य अभियन्ता (पवस / वाणिज्य) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
4. वित्तीय सलाहकार एवं लेखानियंत्रक जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
5. अधिक्षण अभियन्ता (पवस) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (पवस) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
7. अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
को नग अतिरिक्त प्रतियाँ सहायक अभियन्ता वास्ते संलग्न की जाती है
8. मैसर्स सी एस ई एस / बिप्ल / सोफ्टवेक कम्प्यूटर्स जयपुर कोटा